दिनांक - 09.12.17

खण्डपीठ क0 22

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0।

आरोपी कमलेश, विष्णु, भूरा, अवधेश सहित अधिवक्ता श्री आर०पी०एस० गुर्जर उप०।

फरियादी रवि एवं आहत सलीम तथा विजय उप०। फरियादी एवं आहतगण की पहचान अधि० श्री दाताराम बंसल द्वारा की गई।

आज दिनांक को उभयपक्षों द्वारा लोक अदालत का डॉकेट भर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गई।

ेराजीनामा पर विचार किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 294, 148, 323/149 (2 शीर्ष), 325/149 एवं 506 भाग—2 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। आरोपीगण पर आरोपित अपराध शमनीय प्रकृति के हैं। फिरियादी एवं आहतगण ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा के आधार पर आरोपी कमलेश, विष्णु, भूरा, अवधेश एवं रंजीत को भा0द0सं0 की धारा 294, 148, 323/149 (2 शीर्ष), 325/149 एवं 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी रंजीत अनुपस्थित है उसकी दोषमुक्ति की सूचना उसके अभिभाषक को दी गई।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं अतः उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

> प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है। प्रकरण में पूर्व नियत तिथि 19.12.17 निरस्त की गई। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार

भेजा जावे। खण्डपीठ सदस्य. क.1-

ਨ **2**-

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क्र022 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0